न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 32/16 निर्णय दिनांकः– 3-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2016/00126)

1. जेठी देवी पत्नी स्व. अखाराम जाति जाट निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. तुलछाराम
3. लेखाराम
4. मनोहरी
5. सुगना
6. कानी
7. रूखमा
8. इमरती

पिसरान जेठी देवी पत्नी स्व. अखाराम जाति जाट निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. पुष्पा कंवर पत्नी श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी लालावली तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छतरगढ़

–अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 10–10–2016
अपील संख्या 44/15 राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 10–10–2016 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता को बतौर भूमिहीन छतरगढ तहसील के चक 4 एसएम के मु.नं. 68/26 के कि.नं. 15 ता 25 में कुल 11 बीघा पुख्ता आवंटन की गई थी और मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। चूंकि उक्त भूमि कम उपजाऊ, अनकमाण्ड मौके पर किस्म की थी इसलिए वर्षा होने पर खेती हो पाती थी इसलिए बाकी समय गांव में ही रहकर खेतीहर मजदूरी करता था। बाद में उक्त किश्तों के अभाव में खारिज होने पर श्रीमान न्यायालय में अपील सं. 63/13 फैसला दिनांक 05.03.2013 को प्रार्थीगण के पति/पिता को आवंटित रकबा बहाल कर दिया गया और अधिनस्थ न्यायालय को किश्त जमा कराने का आदेश दिया गया मगर फिर भी जैर अपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है मगर इस पर श्रीमान न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। प्रार्थीगण रकबा बहाल होने पर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.03.2013 को किश्त जमा कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर 12.03.2013 को तहसीलदार, छतरगढ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया उक्त रिपोर्ट में कहीं भी अन्य को आवंटन का हवाला नहीं है ना प्रार्थीगण से किश्त जमा ली जा रही थी। जबकि प्रार्थीगण का रकबा न्यायालय के आदेश से बहाल हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझ कर प्रार्थीगण के रिमाण्ड प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कि उनके प्रकरण को लटकाये रखा और अप्रार्थीगण की मिसल में प्रार्थना पत्र देने पर तुरंत फुरत तमाम कार्यवाही अमल में लाकर किश्त जमा लेकर कानूनी भूल की है जो कि रिव्यू कर प्रार्थीगण को अन्यत्र भूमि आवंटन करने का आदेश प्रदान करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थीगण गरीब भूमिहीन व्यक्ति है उनकी वरीयता प्रथम थी उच्चतर न्यायालयों ने यह होल्ड भी किया है कि जब प्रथम आवंटन बहाल हो जाता है तो बाद का आवंटन स्वतः ही निरस्त होगा। न्यायालय के पूर्व के आदेश दिनांक 5.3.13 की पालना में जब प्रार्थीगण को आवंटन बहाल होकर रिमाण्ड प्रकरण जैरकार था तो श्रीमान न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.10.16 में इस तथ्य पर कोई विवेचना नहीं कि जब प्रथम आवंटन बहाल है तो क्या करना चाहिये इसलिए उक्त आदेश रिव्यू कर प्रार्थीगण को अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करें। अतः उक्त कारणो से माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 10–10–2016 में ऐरर फेस ऑफ दी रिकॉर्ड होने के कारण रिव्यू किया जावे। प्रार्थीगण की हद तक पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन के आदश प्रार्थीगण को प्रदान करावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 10–10–2016 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील में उठाये गये बिन्दुओं को पुनः उठाया गया है, जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त सभी बिन्दु अदालत हाजा व न्यायालय हाजा द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णयों में अभिनिर्धारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 10–10–2016 का है जिसके विरूद्ध यह नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 30–11–2016 को प्रस्तुत हुआ है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सर्वप्रथम रिव्यु संबंधी प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा।

आदेश 47 नियम 1 के अनुसार Application for review of judgment.—

(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the **discovery of new and important matter or evidence** which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake **or error apparent on the face of the record** or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. क्या प्रकरण में कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुआ है?
2. क्या प्रकरण में ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फैस ऑफ रिकॉर्ड है?

रिव्यु प्रार्थना पत्र का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। इसके लिए प्रार्थी को 'एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड' तथा 'डिसकवरी ऑफ न्यू एण्ड इम्पोंटेन्ट मेटर एविडेन्स(फ्रेंश फैक्टस)' साबित करना पड़ेगा।

पत्रावली के अवलोकन व उभय पक्ष की बहस से प्रकरण में यह तथ्य प्रकट होते है कि प्रार्थी के पति/पिता का आवंटन दिनांक 05–07–1987 को किस्तो के अभाव में खारिज किया गया था जिस पर प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील दिनांक 05–03–2013 को स्वीकार की जाकर प्रार्थी को दो माह में किस्ते जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये थे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को उसी भूमि का आवंटन दिनांक 04–12–2009 को किया गया था। जिस समय अप्रार्थी संख्या 1 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त भूमि का आवंटन किया गया था उस समय उक्त भूमि रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाकर आवंटन पट्टा दिनांक 27–02–2015 को जारी किया गया। उक्त दिनांक 27–02–2015 तक भी प्रार्थी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में किस्ते नही जमा करवाई गई ना ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह नही बताया गया कि प्रकरण में ऐसे क्या नये तथ्य प्रकट हुए है जिनसे कि प्रकरण पर पुनः विचार किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहे कि न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी कौनसी त्रुटि कारित हुई है जो कि पुनः विलोकन का आधार हो।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार केवल यह लिया गया है कि प्रार्थी का आवंटन दिनांक 05–03–2013 को बहाल किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। परन्तु फिर भी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–10–2016 में इस तथ्य पर कोई विवेचना नही कि जब प्रथम आवंटन बहाल है तो क्या करना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि जब अप्रार्थी का उक्त भूमि का आवंटन किया गया था तब उक्त वादग्रस्त भूमि अराजीराज दर्ज थी। प्रार्थी को आदेश दिनांक 05–03–2013 द्वारा दो माह में राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु प्रार्थी राशि जमा करवाने में असफल रहा। इसलिए उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 का किया गया था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04–12–2009 व 27–02–2015 पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गइ थी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–10–2016 द्वारा अपीलाधीन न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल रखते हुए प्रार्थी की अपील को खारिज किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नजरसानी के प्रार्थना पत्र में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित करने मं असफल रहे कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी क्या त्रुटि कारित की है जो कि दस्तावेजो के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत हो। प्रार्थी द्वारा की गई बहस से रिव्यु के तीनो बिन्दू उनके पक्ष में साबित नही होते है।

7. अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–10–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर